IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

वैवाहिक विवादों में एडीआर की चुनौतियाँ और दक्षता

Archana kala, Dr. Inamur Rahman

वैकल्पनक विवाद समाधान या एडीआर (Alternative Dispute Resolution) शब्द वर्तमान समय में प्रचलन मैं है। आजकर कोई भी विवादों को अदालत में नहीं घसीटना चाहता है और नहीं वह मुकदमेबाजी के लिए जाना चाहता हैं, इसके बजाय वह अदालत के बाहर एक सामंजस्यपूर्ण समाधान के लिए अधिक प्रयासरत् है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विवाद के वैकल्पिक समाधान की प्रक्रिया अधिक लागत प्रभावी, त्वरित और निजी है। लेकिन अभी भी सभी कानूनी मुद्दों को इसके माध्यम से हल नहीं किया जा सका है, विवाद की प्रकृति के संबंध में कुछ सीमाएं है जो अदालत के बजाय ऐसी वैकल्पिक संस्थाओं के माध्यम से हल की जानी चाहिए।

लेकिन अभी भी दुनिया भर में विषेष रूप से भारत में एक बहस चल रही है। कि क्या वैवाहिक मुद्दों या संघर्षों को हल करने के लिए इस प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। वैवाहिक विवाद हालांकि दीवानी मामलों या कुछ कम गंभीरता वाले आपराधिक मामलों के समान हैं, लेकिन पूरी तरह से समान नहीं हैं और परिवार की गोपनीयता शामिल है। जब इस तरह के मामलों को अदालत में ले जाया जाता है, तो पति और पत्नी के निजी संबंध सार्वजनिक रूप से सामने आ जाते हैं, जो पति या पत्नी की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं या परिणामस्वरूप संबंधों में अधिक अलगाव और परिवारों की प्रतिष्ठा का ह्रास हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक परिवार की नींव शादी के माध्यम से ही होती है और इस तरह की निजी या पारिवारिक बात को अदालत में घसीटा जाना अधिक खतरनाक हो सकता है।

उपरोक्त कारणों से पक्षकारों को विवाद के समाधान के वैकल्पिक तंत्र अपनी परिस्थितियों के अनुसार अधिक अनुकूल लग सकते हैं और अजनबियों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें अधिक खुले तौर पर

व्यक्त करने में सक्षम होंगे। उनके पास इस एक शीर्षक के तहत कई तरीके भी हैं, ताकि पक्षकार निपटान के किस तरीके के लिए जाने है, इस बात का फैसला कर सकें। ये विभिन्न प्रकार के तरीके जैसे मध्यस्थता, मध्यस्थत एवं सुलह, बातचीत और लोक अदालतें होंगे, जो भारत में प्रचलित हैं।

साथ ही कभी–कभी अदालत ''सुलह के चरण'' को मानती है, यानी वह प्रक्रिया जहां मुकदमेबाजी में जाने से पहले अदालत खुद वैकल्पिक तरीके के लिए सुझाव देती है ताकि परिवार को टूटने से बचाया जा सके। पारिवारिक विवादों में विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में, कोई भी अदालत परिवार की शांति तब तक भंग नहीं करना चाहती जब तक कि उन्हें इसकी सख्त जरूरत न हो। इसलिए अदालतों का मत है कि यदि समाधान के वैकल्पिक तरीके के उचित आवेदन के माध्यम से विवाद को खारिज कर दिया जाता है, तो यह दोनों पक्षों और अदालत के लिए एक जीत की स्थिति है क्योंकि यह अदालत के बोझ को कम करता है और बीच सद्भाव पैदा करता है। पक्षकारों ने आपसी सहमति से मामले का समाधान किया। इसके लिए भारतीय कानूनी ढांचे में इस तरह के तरीकों के आवेदन के पक्ष में कुछ कानून भी जोड़े गए हैं जो एडीआर को ऐसे मुद्दों के लिए आवेदन करने में मदद करते हैं।

इस प्रकार इस पत्र का उद्देश्य वैवाहिक प्रकृति के विवादों को निपटाने के विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक समाधानों के बारे में एक स्पष्ट विचार देना है। यह ऐसे मुद्दों पर हर प्रकार के तरीकों के प्रभाव और उसके दायरे का एक संक्षिप्त विचार देगा।

कीवर्ड– एडीआर, पक्षकार, वैवाहिक विवाद, संघर्ष और विवाद, समाधान

परिचय

पूरे विश्व में सभी देशों के बीच एक समानता है कि उन सभी के पास नियमों या विनियमों का एक उचित सेट है जिसे उस विशिष्ट देश के कानूनी ढांचे के रूप में जाना जाता है ये कानूनी प्रणालियाँ उस देश के निवासियों के शासन के लिए नियम बनाती हैं। यह प्रदान करता है कि कानूनी संघर्ष के लिए दोनों पक्षों अर्थात शिकायतकर्ता और प्रतिवादी को मुद्दे के समाधान के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा।

लेकिन इससे न्यायालयों का काम व्यापक और अधिक व्यापक होता गया, क्योंकि लोग ऐसी छोटी–छोटी बातों के लिए भी न्यायालयों में जाने लगे, जिन्हें दोनों पक्षों के बीच संचार के उचित तरीके से सुलझाया जा सकता था और इस तरह काम का बोझ बढ़ गया और सभी विरोधाभासों या विवादों को हल करने की गति कम कर दी।

इसलिए न्यायालयों के बोझ को कम करने और मुद्दों के त्वरित निपटारे के लिए एडीआर (Alternative Dispute Resolution) अर्थात् वैकल्पिक विवाद समाधान का तंत्र बनाया गया था।

मूल रूप से एडीआर मुकदमेबाजी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाए बिना विवाद के समाधान का एक तरीका है। इसमें आमतौर पर एक तीसरा पक्ष शामिल होता है, जो मामले को निपटाने में उनकी मदद करता है। यह या तो स्वेच्छा से या न्यायालय के निर्देश पर नियुक्त किया जा सकता है। कानूनी दुनिया में संघर्षों या विवादों को हल करने के लिए एडीआर के विभिन्न साधन हैं।

एडीआर कानूनी प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि कई दशकों से भारत के संदर्भ में मामलों की लंबितता और मामले को खारिज करने का अनुपात बहुत अधिक है। इस वजह से मामले लंबे समय से विचाराधीन हैं और पीड़ित लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए अदालतों को उनके लिए काम कम करने के लिए इस तकनीक या उपाय की सख्त जरूरत है क्योंकि न्यायिक अधिकारियों की संख्या और उनकी अदालतों में मामलों की इतनी अधिक वृद्धि से काम के बोझ तले प्रकरणों की लंबितता बढ़ती जा रही है।

दूसरा मुकदमेबाजी में वकील की फीस के साथ–साथ अदालती फीस का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जो कि अदालत में मामले के समय के आधार पर बहुत अधिक राशि है, जबकि एडीआर बहुत ही लागत प्रभावी है। और पक्षकारों को त्वरित न्याय प्रदान करता है और वह भी अनुकूल तरीके से। यह पक्षकारों को मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मुकदमेबाजी की ऐसी बोझिल प्रक्रिया से बाहर निकलने में मदद करता है क्योंकि आपराधिक प्रकरण यानी गैर शमनीय अपराध एडीआर के माध्यम से हल नहीं होते हैं।

वैवाहिक विवाद

हम सभी जानते हैं कि परिवार की संस्था एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह है जो उसके बाद समाज में परिवार की एक इकाई का अस्तित्व बनाता है। यह एक ऐसी संस्था है जिस पर कोई इतनी आसानी से रोक नहीं लगा सकता क्योंकि इसकी नैतिक भावनाएं समाज से जुड़ी हुई हैं और सभ्यता की मिसाल साबित होती हैं, लेकिन कभी–कभी ऐसे विवाद भी होते हैं जो विवाहित जोड़े के बीच अपने विवाह के आधार को लेकर पैदा हो जाते हैं या एक साथी के दूसरे के प्रति गलत व्यवहार के कारण इसे वैवाहिक विवाद कहा जाता है।

वैवाहिक विवाद मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं. अर्थात् 1. विवाह का विघटन 2. जीवनसाथी और बच्चों का भरण–पोषण, जहाँ आगे उन्हें युगल की परिस्थितियों के आधार पर अलग–अलग भागों में विभाजित किया जाता है।

वे आम तौर पर पारिवारिक कानून की अवधारणा के तहत नागरिक प्रकृति के होते हैं, जब तक कि पति या पत्नी में से किसी को भी गंभीर आघात ना पहुँचा हो जब आघात के तत्व में इस तरह का विवाद शामिल होता है, तो यह एक आपराधिक मामले का रूप ले लेता है और उस तरह के दृ ष्टिकोण से निपटा जाता है।

एक दूसरे पर दो शब्दों का प्रभाव और दायरा

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि वैवाहिक विवाद ऐसे संघर्ष हैं जो एक परिवार की शांति को भंग करते हैं और समाज की नैतिकता के खिलाफ हैं. इसलिए जब ऐसे मामलों का अदालत में सामना होता है, तो अदालत के पीठासीन अधिकारी के दिमाग में सबसे पहले यही विचार आता है। यह है कि, मुकदमेबाजी के माध्यम से अलग होने के बजाय दोनों पक्षकार मामले के सामंजस्यपूर्ण समाधान और उनके बीच सुलह के लिए कैसे जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में पारिवारिक कानून विवाह के विघटन का समर्थन नहीं करते हैं और कानून के विभिन्न तरीकों से समाधान के लिए बढ़ावा देते हैं, ताकि परिवार को अपने सामान्य रूप से टूटने से बचाया जा सके । कानूनों के इन विभिन्न तरीकों को एडीआर के तरीके कहा जा सकता है।

वे इस तरह के निजी मामलों को हल करने के लिए सबसे अच्छे तरीके हैं। क्योंकि वे गोपनीय तरीके से किए जाते हैं और या तो पार्टियों द्वारा स्वयं प्रस्तावित किए जा सकते हैं या अदालत उसी के लिए निर्देश दे सकती है।

जैसा कि पहले कहा गया है कि एडीआर आमतौर पर ऐसे मामलों का अनुसरण करता है जो प्रकृति में दीवानी हैं, तो वैवाहिक विवाद भी एडीआर के दायरे में आ सकते हैं। यह पक्षों को मामले या उनके बीच संघर्ष को सुलझाने के एक सौहार्दपूर्ण तरीके तक पहुँचने में मदद करेगा। इस प्रक्रिया को भारतीय कानूनी प्रणाली में इससे संबंधित कुछ कानूनों की मदद से ही कानूनी माना जाएगा।

वैवाहिक विवादों के लिए भारतीय कानून

भारत के विभिन्न कानूनों में विभिन्न प्रावधान हैं जो संकल्प के वैकल्पिक तरीकों का समर्थन करते हैं ताकि इससे संबंधित प्रक्रिया कानूनी प्रकृति की हो सके। ये प्रावधान हैं–

1. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता और सुलह का उल्लेख किया जा रहा है।
2. सिविल प्रक्रिया– वैकल्पिक विवाद समाधान, 2006
3. सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियम, 2003
4. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 ने सिविल प्रकृति के मुकदमों की अनौपचारिक स्थापना के लिए लोक अदालतों की स्थापना की।
5. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश X नियम IA, IB और IC न्यायालय परिसर के बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान रखते हैं।
6. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के मुकदमों की वापसी और समायोजन के बारे में आदेश XXIII
7. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश XXXIIA; विशिष्ट नियम 6 परिवार के दायरे की व्याख्या करता है।

8. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 को नागरिक प्रकृति की अदालतों को एडीआर को मामले को संदर्भित करने और न्यायिक समाधान शब्द का वर्णन करने के लिए सशक्त बनाने के लिए शामिल किया गया था।

9. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 (2) और (3) और व्यक्तिगत पारिवारिक कानूनों की धारा 34 (3) और (4) विशेष विवाह अधिनियम, 1954 आदि।

10. पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 के प्रावधान विशेष रूप से धारा 9, क्योंकि सुलह को बढ़ावा देना परिवार न्यायालय का दायित्व है।

एडीआर के विभिन्न तरीके

वैकल्पिक विवाद समाधान मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं।

1. मध्यस्थता
2. समझौता
3. बीच–बचाय
4. बातचीत

लेकिन भारत के संदर्भ में सूची में एक और प्रकार उपबंध जोड़ा जा सकता है और वह है

5. लोक अदालत और न्यायिक समझौता

ये सभी विधियों एक तरह से समान हैं क्योंकि वे एक प्रमुख शीर्ष से संबंधित हैं लेकिन फिर भी उनमें कुछ अंतर हैं जिनकी चर्चा सभी प्रकारों की चर्चा के बाद की जाती है तो एडीआर के विभिन्न तरीके इस प्रकार हैं–

मध्यस्थता करना

मध्यस्थता एडीआर की सबसे अधिक लागू पद्धति में से एक है। इस प्रकार के विवाद समाधान में, पक्षकारों की सहमति पर एक तीसरा पक्ष शामिल होता है, जो विवाद को हल करने में मदद करता है। ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ कहा जाता है।

यह एक प्रकार का अदालत से बाहर का समझौता है, जहां मध्यस्थ दोनों पक्षों की स्थिति को जानने और समझने के बाद एक वैध बाध्यकारी निर्णय देता है जिसे मध्यस्थता पुरस्कार कहा जाता है और मामले को खारिज कर देता है। यह निजी तौर पर किया जा सकता है या अदालत भी इसके लिए निर्देश दे सकती है।

कई अलग–अलग प्रकार हैं लेकिन प्रमुख रूप से इसे स्वैच्छिक मध्यस्थता और मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मामले के संदर्भ के आधार पर अनिवार्य के रूप में विभाजित किया गया है।

अन्य हैं– संस्थागत, तदर्थ, फास्ट ट्रैक, वैधानिक संविदात्मक, घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय, विदेशी, वाणिज्यिक और निवेश मध्यस्थता ।

भारत में मध्यस्थता का दायरा अब वाणिज्यिक, औद्योगिक या संविदात्मक विवादों के निपटारे के संबंध में ठीक से स्थापित हो गया है और यह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पालन करता है।

तो इससे हम एक मोठा बहुमत निकाल सकते हैं कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के दीवानी मामलों जैसे वैवाहिक विवादों के लिए किया जा सकता है. जो वैधानिक, संविदात्मक और घरेलू मध्यस्थता की श्रेणियों में आ सकते हैं।

उपरोक्त अवधारणा को न्यायालय द्वारा एक मामले में कानूनी रूप दिया गया था. जहां यह माना गया था कि हर मामला जिसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 9 के अनुसार दीवानी अदालत संज्ञान ले सकती है. और जिसमें निजी प्रकृति के विवाद शामिल हैं, तो ऐसे मामले को संदर्भित किया जा सकता है। मध्यस्थ'' ।

वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता केवल पति पत्नी या पूर्व पति और पूर्व पत्नी के बीच रखरखाव या बच्चे की हिरासत के मुकदमे के संबंध में या गुजारा भत्ता के पैसे के लिए दिशा के संबंध में किसी भी पैसे

के लेन देन को तय करने के लिए दी जा सकती है। तलाक के बाद संपत्ति का विभाजन। लेकिन मध्यस्थ विवाह के विलोपन या विघटन के संबंध में किसी पुरस्कार की घोषणा नहीं कर सकता है।

ऐसे विवादों में मध्यस्थता का लाभ यह हो सकता है कि यह निजी और गोपनीय होता है। साथ ही यहां पारित अधिनिर्णय दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है. इसलिए यदि उनमें से कोई भी उनका उल्लंघन करता है. तो उसके लिए अदालत में ले जाया जा सकता है। यह तेजी से एक संतोषजनक परिणाम तक पहुंचने में मदद करता है जो मुकदमेबाजी के मामले में संभव नहीं होता।

बीच बचाव

बीच बचाव किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए एडीआर का दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है।

इसके मूल में मध्यस्थता या बीच बचाव का तात्पर्य पक्षकारों को आपसी सद्भाव में लाने के लिए तीसरे पक्ष की प्रक्रिया से है। तीसरा व्यक्ति दोनों पक्षों को सुनता है, तथ्यों के तर्कों की पहचान करता है और दोनों पक्षों के बीच मामले मैं मध्यस्थता करने की कोशिश करता है ताकि वे आपसी समझ तक पहुँच सकें और अदालत की भागीदारी के बिना इस मुद्दे को सुलझाया जा सके। इसे पार्टियों के बीच संघर्ष को सुलझाने का एक दोस्ताना तरीका कहा जा सकता है। यहाँ इस तरह शामिल तीसरे पक्ष को मध्यस्थ कहा जाता है और उसका सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य मध्यस्थता के विपरीत कार्यवाही के अनौपचारिक तरीके से मामले को सुलझाना है और प्रत्येक पक्ष के विचारों को दूसरे से जोड़ना होता है ताकि वे एक दूसरे की परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित कर सकें और मैत्रीपूर्ण तरीके से मामले को समाप्त करें।

मध्यस्थता के विभिन्न तरीके न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट/अधिदेश, निजीध्स्वैच्छिक, मूल्यांकनात्मक, सुविधाजनक और परिवर्तनकारी मध्यस्थता हो सकते हैं। यहां तक कि इसका एक तरीका यह भी है जहां इसमें मध्यस्थता और मध्यस्थता दोनों का संयोजन होता है जिसे मेड– अर्ब या इसके विपरीत मध्यस्थता कहा जाता है।

वैवाहिक विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता को सबसे अच्छा तरीका कहा जा सकता है क्योंकि यह पति और पत्नी दोनों को एक प्रभावी तरीके से एक निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद करता है और

दोनों के बीच खराब रिश्ते की संभावना को शून्य कर देता है। यहां मध्यस्थ अपना निर्णय पक्षकारों पर थोपता नहीं है और केवल दोनों के बीच उमेस्क प्रेरक का कार्य करता है।

वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता की प्रक्रिया अधिक लाभकारी होती है क्योंकि इसमें पालन की जाने वाली कोई कानूनी प्रक्रिया शामिल नहीं होती है, लेकिन इसे नैतिक भावनाओं और पक्षों की भावनाओं की मदद से सुलझाया जाता है। यहां कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिनिर्णय पारित नहीं किया जाता है। ऐसे कई मामले हैं जो वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता की प्रभावशीलता को उचित अनुपात में दर्शाते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि घरेलू हिंसा जैसे आपराधिक मामलों को भी मध्यस्थता के लिए भेजा जा सकता है।

- इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक पति या पत्नी द्वारा दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने के लिए एक आवेगपूर्ण कार्य देखा, जिसे बाद में एक फर्जी प्राथमिकी के रूप में मान्यता दी गई. इसलिए ऐसे मामलों के दायरे को समाप्त करने के लिए अदालत ने सुझाव दिया कि वैवाहिक विवाद पहले होना चाहिए मध्यस्थता के माध्यम से सुलह की प्रक्रिया के लिए जाएं और फिर भी मामला हल नहीं होता है, तो पार्टियों को उसी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए ।
- एक मामले में महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि एक पक्ष अदालत में जाए बिना मध्यस्थता का विकल्प चुन सकता है और केवल घरेलू हिंसा से संबंधित मामलों को ही पहले दायर किया जाना चाहिए और फिर पक्ष मध्यस्थता के लिए जा सकते हैं क्योंकि भारतीय दंड संहिता में कोई आपराधिक मामलों में मध्यस्थता का प्रावधान
- यह एक ऐतिहासिक मामला है जहां अदालत ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के प्रावधान पर जोर दिया, और यह माना कि यह अदालत का दायित्व है कि मुकदमेबाजी से पहले पक्षों को निपटान का उचित मौका दिया जाए।
- इस मामले में अदालत ने कहा कि अगर आपराधिक मामलों में मध्यस्थता प्रस्तावित है तो भी वह इसके लिए जा सकती है। और अदालत ने सभी अदालतों के लिए एडीआर के दायरे में

आने वाले सभी मामलों को प्री–लिटिगेशन स्टेज पर विशेष रूप से तलाक के मामलों को संदर्भित करने के लिए बाध्यता भी निर्धारित की ।

इन घटनाओं से मध्यस्थता की प्रक्रिया से दोनों पक्षों को अपने विचारों के पुनर्निमाण में लाभ होता है और मध्यस्थ द्वारा उनके विवाद से जो कुछ भी मध्यस्थता की जा रही है, उसके निष्कर्ष में ईमानदारी और तटस्थता होगी।

यहां मध्यस्थ की एक भूमिका बहुत अधिक है, कि उसे पार्टियों या पक्षकारों को अपने सामने बोलने की जरूरत है क्योंकि कोई भी किसी तीसरे व्यक्ति से अपनी निजी शिकायतों पर चर्चा करने में सहज नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसे अंत में दोनों पक्षों के अनुकूल किसी निष्कर्ष या समाधान पर पहुंचना चाहिए या उन्हें फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और मध्यस्थता की प्रक्रिया बेकार हो जाएगी।

समझौता

सुलह अदालत में आए बिना विवादों या विवादों को सुलझाने की एक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का एडीआर है जो मध्यस्थता से कम औपचारिक है लेकिन मध्यस्थता के समान है क्योंकि इसमें ऐसा कोई पुरस्कार पारित नहीं किया जाता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सुलह मध्यस्थता और बीच–बचाव का मिश्रण है क्योंकि यहाँ एक विशेषज्ञ को मध्यस्थ की तरह नियुक्त किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया मध्यस्थता की तरह होती है ताकि पक्षकार मामले को सुलझा सकैं (समझौता नहीं) लेकिन इसके लिए कोई पुरस्कार घोषित नहीं किया जाता है।

सुलह निपटान के एक अनौपचारिक तरीके का अनुसरण करती है इसलिए इसका उपयोग वैवाहिक विवादों के लिए भी किया जा सकता है। यहां विवादकर्ता एक दूसरे के सही और गलत का फैसला करने के अलावा संदर्भित परिस्थितियों में एक व्यावहारिक समाधान निकालेंगे।

न्यायालय ने एक मामले में कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 23 का प्रावधान न्यायाधीशों के लिए एक अनिवार्य प्रावधान है कि वे सुलह के लिए वैवाहिक मामले का पालन करें और उसे

संदर्भित करे और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगराज सिंह बनाम बीर पाल कौर जेटी 2007 (3) एससी 389 के मामले में भी यही आयोजित किया गया था।

इसी संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी माना कि उच्च न्यायालयों को इस प्रकार स्थापित एडीआर नियमों के लिए एक ही बात का पालन करना चाहिए। यह मामले के तथ्यों के अनुसार अपने आवेदन को बदल सकता है''।

बातचीत

बातचीत मध्यस्थता के समान एक प्रक्रिया है जो विवादों को ''देने और लेन'' के रिश्ते से सुलझाने में मदद करती है। इसे सरल तरीके से समझने के लिए इसे दो पक्षों के बीच एक तरह का समझौता कहा जा सकता है।

लेकिन आरतीय कानूनी प्रणाली के तहत इसे कोई वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है. इसलिए इसे कानूनी रूप से वैवाहिक विवादों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन पक्षकार उचित संचार के माध्यम से अदालत में पहुंचने से पहले ही इस मुद्दे को हल कर सकते हैं।

लोक अदालतें और न्यायिक व्यवस्था

न्यायिक समझौता मूल रूप से एक अंतिम समाधान है जैसे कि एक ऐसी संस्था से निष्कर्ष निकाला गया है जिसे मामले के समाधान के लिए अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था या लोक अदालतें जो कानूनी सेवा अधिनियम के तहत स्थापित की गई हैं। 1987 उन्हें ''पीपुल्स कोर्ट'' कहा जाता है लोक अदालत एडीआर तंत्र मंच हैं जहां मुकदमेबाजी से पहले या लंबित मामलों को निपटान के लिए भेजा जाता है। यह विवाद में पुरस्कार की घोषणा करता है जो गैर–अपील योग्य है, लेकिन पार्टियां इसके लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

लोक अदालत के अलावा न्यायिक समाधान पहले भी देखा जा चुका है, लेकिन लोक अदालतों के लिए भी कानूनी सेवा अधिनियम और अन्य उपायों के अनुसार इसे वैवाहिक मुद्दों के लिए लागू किया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायाधीश पक्षकारों के बीच सुलह कराने का प्रयास करते हैं. लेकिन असफल होने पर आपसी सहमति से तलाक के आधार पर दोनों पक्षों के बीच भरण–पोषण

और गुजारा भत्ता की राशि तय की जाती है। लोक अदालतों के माध्यम से कई वैवाहिक विवादों का समाधान किया गया है । साथ ही इसके लिए कोई कोर्ट फीस भी नहीं देनी होगी।

इस प्रकार इसे मध्यस्थता के साथ–साथ भारत में वैवाहिक विवादों के समाधान का सबसे अच्छा तरीका कहा जा सकता है।

यदि सभी तरीकों में अंतर की बात करें तो मध्यस्थता और लोक अदालतों को छोड़कर सभी अनौपचारिक हैं और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। साथ ही इन दोनों में गोपनीयता के मामले कानून पर आधारित हैं और दूसरों के पास यह उनके और सुविधाकर्ता के बीच विश्वास पर है।

निष्कर्ष

इस तथ्य को नकारना गलत होगा कि अब एडीआर भारत की कानूनी व्यवस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। लेकिन दुर्भाग्य से इसका इतना प्रचार नहीं किया जाता है कि हर व्यक्ति इसका प्रयोग कर सके। एडीआर के बहुत सारे लाभ हैं यानी यह कठोर नहीं है, लागत प्रभावी है, गरीब लोगों को न्याय दिलाने में मदद करता है, ऐसी बैठकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यानी गोपनीय और त्वरित न्याय भी प्रदान करता है, लेकिन तब भी इसकी प्रभावशीलता भारत में नहीं देखी जा सकती है। यह अभी भी भारत में अदालतों पर एक धुंधली छाया है। इसे मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि इसके तहत आने वाले मामलों के लिए मुकदमेबाजी से पहले एडीआर का शासनादेश और भारत के कानूनी समाज के एडीआर युग तक पहुंच जाए।

lanHkZ lwph&

1. अजय, "वैवाहिक और पारिवारिक मामलों पर मध्यस्थता" (*iPleaders* 9 दिसंबर, 2016) < https://blog.ipleaders.in/arbitration-matrimonial-family-matters/#_ftn2 > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया
2. बख्शी ए, "विवाद निपटान में लोक अदालत की भूमिका" () < https://www.latestlaws.com/wp-content/uploads/2018/08/Role-of-Lok-Adalat-in-Dispute-Settlement-By -अरुशी-बख्शी.पीडीएफ > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया
3. धवन ए, "वैवाहिक विवादों में मध्यस्थता की भूमिका | मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से" (*viamediationcentre.org*) < https://viamediationcentre.org/readnews/MTY5/Role-of-Mediation-in-Matrimonial-Disputes > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

4. घोष बी, "कंसिलिएशन फॉर सेटलिंग फैमिली डिस्प्यूट्स" (*lakshmisri.com* फरवरी 27, 2016) < https://www.lakshmisri.com/insights/articles/conciliation-for-setbling-family-disputes/# > 3 अगस्त को एक्सेस किया गया, 2021

5. हर्षिता रजनीश, "पारिवारिक और वैवाहिक विवाद - क्या मध्यस्थता और बातचीत की कुंजी हैं? | नोलॉव "(*नोलॉव* 8 दिसंबर, 2020) < https://knowlaw.in/index.php/2020/12/08/mediation-negotiation-family-matrimonial-disputes/ > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

6. जेफी एम, "सुलह और मध्यस्थता: एक प्रभावी पारिवारिक विवाद समाधान" (लॉ *टाइम्स जर्नल* 10 जनवरी, 2019) अगस्त 3, 2021

7. खान जे, "धारा 89 सीपीसी के तहत न्यायिक निपटान" () < http://www.ijtr.nic.in/Article_chairman%20S.89.pdf > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

8. मल्होत्रा ए और मल्होत्रा आर, "भारतीय परिवार कानून में वैकल्पिक विवाद समाधान - वास्तविकताएं, व्यावहारिकताएं और आवश्यकताएं" () < https://www.iafl.com/media/1129/alternative_dispute_solve_in_indian_family_law.pdf > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

9. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, "लोक अदालत" (*nalsa.gov.in* 26 फरवरी, 2019) < https://nalsa.gov.in/lok-adalat > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

10. ranganathvg@legalserviceindia.com, "बातचीत-वैकल्पिक विवाद समाधान का तरीका" (*www.legalservicesindia.com*) < http://www.legalservicesindia.com/article/245/Negotiation-Mode-Of-Alternative-Dispute-Resolution.html > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

11. श्रीवास्तव वी, "विभिन्न प्रकार के मध्यस्थता | मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से" (*viamediationcentre.org*) < https://viamediationcentre.org/readnews/NDcw/Different-Types-of-Mediation > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

12. एसटीए लॉ फर्म, "एडीआर विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण उनके लाभ और नुकसान पर ध्यान देने के साथ - मुकदमेबाजी, मध्यस्थता और मध्यस्थता - संयुक्त अरब अमीरात" (*www.mondaq.com* 5 फरवरी, 2019) < https://www.mondaq.com/ मध्यस्थता-विवाद-संकल्प/777618/comparative-analysis-of-adr-methods-with-focus-on-their-advantages-and-disadvantages > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

13. व्यास डी, "परिवार और वैवाहिक मामलों में एडीआर की भूमिका" (*ब्लैक एन 'व्हाइट जर्नल* 11 जनवरी, 2021) < https://bnwjournal.com/2021/01/11/role-of-adr-in-family-and -मैट्रिमोनियल-मैटर्स/#_ftn6 > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

14. यादव ए, "भारत में तलाक की कार्यवाही में मध्यस्थता और मध्यस्थ की भूमिका द्वारा: आकांक्षा यादव" (*नवीनतम कानून* 4 अगस्त, 2018) < https://www.latestlaws.com/adr/articles/role-of-mediation-and-mediator -in-divorce-proceedings-in-india-by-akanksha-yadav/ > 3 अगस्त, 2021 को एक्सेस किया गया

15. मध्यस्थता " (*legalserviceindia.com*) 3, 2021